भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 468

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

व्यापार योग्य जल क्रेडिट हेतु रूपरेखा

468. श्री आदित्य यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर व्यापार योग्य जल क्रेडिट हेतु ढांचा विकसित करने के लिए बाजार आधारित समाधान की आवश्यकता है जो जल संरक्षण और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ध्यान में रखते हुए कि रूपरेखा में परिभाषित जल गुणवत्ता आउटपुट के साथ जल खपत को कम करने के लिए परियोजना डिजाइन, गतिविधियां और प्रमाणन शामिल होना चाहिए, सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित की जाने वाली पहल क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है, ताकि ग्रीन क्रेडिट जारी किए जा सकें।

****